

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 270/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
पुस्त होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड, यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाडिया टॉवर, अशोक  
मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर।

प्राथी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री प्रशांत पचौरी पुत्र श्री जयप्रकाश पचौरी,
2. पता- 57, मांग्यावास, मुख्य गांव की आबादी, वार्ड नं. 34, राजस्थान।  
एवं संगम पैराडाईज के पास, मांग्यावास रोड़, रजत पथ, एनएसआर मानसरोवर, जयपुर।  
एवं प्लॉट नं. 57, हनुमन्त विहार, मांग्यावास, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर।
3. श्रीमती शिवानी पचौरी पत्नी श्री प्रशांत पचौरी,
4. श्रीमती सुशीला पचौरी पत्नी श्री जयप्रकाश पचौरी,  
57, मांग्यावास, मुख्य गांव की आबादी, वार्ड नं. 34, राजस्थान।  
एवं प्लॉट नं. 57, हनुमन्त विहार, मांग्यावास, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री विक्रम सिंह, अभिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.07.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सुशीला पचौरी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 57, हनुमन्त विहार, मांग्यावास, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 16.03.2017 को राशि 10,83,662/-रूपये एवं दिनांक 30.03.2017 को राशि 03,81,208/-रूपये कुल राशि 14,64,870/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में अशफल रहने पर अभिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.03.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मग ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक संपत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदान उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राथी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अभिवक्ता को गौर से सूना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरता से अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 14,64,870/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 12,15,394/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.03.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सुशीला पचौरी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 57, हनुमन्त विहार, मांग्यावास, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 100 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



आज दिनांक 22.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर